न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र संख्या : 2018/00529

1. सुखदेव आत्मज श्री नारायण जाति जाट निवासी नैनवां, हाल निवासी बाणगंगा चौथमाता मंदिर के पास, बून्दी (राज0)।
2. रामलाल आत्मज श्री नारायण जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 19 नैनवां, जिला बून्दी (राज0)।

––अपीलान्ट

बनाम

रामकिशोर आत्मज श्रीनारायण जाति जाट निवासी जाटो का मोहल्ला काजी की गली, चारभुजा मंदिर के पीछे तहसील नैनवां , जिला बून्दी(राज0)।

––रेस्पोडेन्ट

प्रार्थना–पत्र संख्या : 2018/00530

1. सुखदेव आत्मज श्री नारायण जाति जाट निवासी नैनवां, हाल निवासी बाणगंगा चौथमाता मंदिर के पास, बून्दी (राज0)।
2. रामलाल आत्मज श्री नारायण जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 19 नैनवां, जिला बून्दी (राज0)।

––अपीलान्ट

बनाम

रामकिशोर आत्मज श्रीनारायण जाति जाट निवासी जाटो का मोहल्ला काजी की गली, चारभुजा मंदिर के पीछे तहसील नैनवां , जिला बून्दी(राज0)।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री नन्द सिंह हाडा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनो अपीलों मे ।

2. श्री हेमन्त कृष्ण विजय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनो अपीलों मे।

निर्णय दिनांकः 28.06.2023

1. प्रार्थीगण द्वारा उक्त दों प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 39 नियम 2–ए व्यवहार प्रकिया संहिता वास्ते कन्टेम्ट ऑफ कोर्ट प्रस्तुत किए गए है। न्यायालय हाजा की अपील संख्या 2017/00293 एवं 2017/00287 मे पारित आदेश दिनांक 21.06.017 एवं 04.07.2017 की अवमानना के विरूद्ध उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किये गए हैं ।

2. उक्त दोनों प्रार्थना–पत्र एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा समान पक्षकार होने तथा समान विषयवस्तु के होने से दोनो प्रार्थना–पत्रों मे एक–साथ बहस सुनी जाकर उक्त दोनों प्रार्थना–पत्रों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की एक–एक प्रति अलग–अलग दोनों पत्रावलीयों में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलांट की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां के प्रकरण संख्या 65/2011 मे पारित निर्णय दिनांक 19.05.2017 के विरूद्ध न्यायालय हाजा मे अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 2017/00289 पर दर्ज रजिस्टर की गई। साथ ही अपीलांट की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां के प्रकरण संख्या 59/2011 मे पारित निर्णय दिनांक 19.05.2017 के विरूद्ध न्यायालय हाजा मे एक अन्य अपील प्रस्तुत की गई जो न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 2017/00293 पर दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीलों मे न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 21.06.2017 को मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति का तथा दिनांक 04.07.2017 को संशोधित आदेश विवादित भूमि के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा वादग्रस्त आराजी से अपीलांट को बेदखल नहीं करने का आदेश रेस्पोडेन्ट अप्रार्थी के विरूद्ध पारित किया गया।

4. अधिवक्ता प्रार्थीगण अपीलांट की ओर से न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत अपील संख्या 2017/00289 एवं अपील संख्या 2017/00293 मे न्यायालय हाजा

द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.07.2017 के निर्णय के संबंध मे दो पृथक–पृथक कन्टेम्पट प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये गये।

5. प्रार्थीगण अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनो प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किये जाकर अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधिवक्ता अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र मय विशेष कथन प्रस्तुत किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

6. अधिवक्ता अपीलांट प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे अपील प्रार्थना–पत्र मे अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त उनवान की दो पृथक–पृथक अपीलें, अपील संख्या 2017/00293 एवं अपील संख्या 2017/00289 प्रार्थीगण अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा मे दिनांक 21.06.2017 को प्रस्तुत की गई थी। उक्त दोनो अपीलों को न्यायालय हाजा द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर स्थगन प्रार्थना–पत्र पर दिनांक 21.06.2017 को ही स्थगन आदेश पारित किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 4695 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 4696 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 4698 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 4694 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 4 की रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा की रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे। उसके पश्चात दिनांक 04.07.2017 को उक्त आदेश में माननीय न्यायालय द्वारा संशोधन करते हुए, उक्त आराजी मे मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने एवं वादग्रस्त आराजी से रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट को बेदखल नहीं किये जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश की जानकारी रेस्पोडेन्ट को न्यायालय हाजा मे उपस्थित होने पर हो गई उसके पश्चात रेस्पोडेन्ट अप्रार्थी द्वारा उक्त आदेश को किसी भी सक्षम न्यायालय मे चेलेंज नहीं किया गया और उक्त आदेश पर अपनी सहमति के रूप मे न्यायालय हाजा मे हाजरी दर्ज कराई। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी को उक्त आदेश की भलीभांति जानकारी होते हुये भी रेस्पोडेन्ट अप्रार्थी द्वारा उक्त आराजी पर 5 माह पूर्व प्रार्थी अपीलांट की अनुपस्थिति मे रात को जाकर बोरिंग(नलकूप) महेन्द्र बोरिंग कम्पनी नैनवां से खुदवा लिये गये। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 04.07.2017 की जानबूझकर अवमानना की गई है। इसके बावजूद भी उक्त भूमि पर अपीलांट द्वारा जुलाई 2018 मे बोई गई उड़द की फसल को रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 05.07.2018 को जबरन ट्रेक्टर से हांककर नष्ट कर दिया गया तथा उक्त आराजी पर ताकत के बल पर कब्जा करने पर अप्रार्थी/ रेस्पोडेन्ट आमादा है क्योंकि अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट नैनवां नगरपालिका का पार्षद है। इसलिये राजनैतिक पहुंच

होने के कारण थाना नैनवां भी अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते है, प्रार्थी अपीलांट द्वारा थाना नैनवां के एसएचओ स्थगन आदेश की प्रति देने पर भी अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट का सहयोग करते हुए एसएचओ द्वारा प्रार्थी से इस प्रकार कहा कि स्टे क्या होता है और प्रार्थीगण को ही 107, 151 सी.आर.पी.सी. के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार न्यायालय हाजा के आदेश की अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा खुलेआम अवमानना की जा रही है। न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2017 की पालना करवाने व अवमानना हेतु अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट को दण्ड दिलवाने के लिये प्रार्थीगण अपीलांट के पास उक्त कार्यवाही के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल मे निगरानी प्रस्तुत कर न्यायालय हाजा के आदेश को स्थगन होने का कथन किया है। परन्तु माननीय राजस्व मण्डल के आदेश की जानकारी न तो प्रार्थी को थी तथा न ही न्यायालय हाजा को थी। ऐसी स्थिति मे उक्त आदेश प्रभावी नहीं माना जाएगा। अन्त मे प्रार्थीगण अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनो अपील प्रार्थना–पत्र कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट स्वीकार किये जाकर अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 04.07.2017 की अवमानना करने पर दण्ड से दण्डित किये जाने और न्यायालय हाजा के आदेश की पालना समुचित करवाई जाने का निवेदन किया।

7. अधिवक्ता अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 2 मे अंकित दो बोरिंग खुदवाने का तथ्य नितान्त गलत है, किस तिथि को खोदे गये, जमीन की किस दिशा मे खोदे गये, किस खसरा नम्बर विशेष पर खोदे गये, अभी क्या काम कर रहे है, बिजली का कनेक्शन है या नहीं, पानी का उपयोग कौन कर रहा है, ऐसे सभी अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर यह साबित करते है यह झूंठा आरोप लगाया गया हैं एक तथ्य उड़द की फसल को हांकने बाबत है, यह तथ्य भी गलत है। कभी भी अप्रार्थी ने उड़द की फसल हांकी भी नहीं है। अपीलांट प्रार्थी का जमीन पर कभी कब्जा भी नहीं रहा है। उक्त उड़द की फसल का तथ्य नितान्त झूंठा एवं बेबुनियाद है, इस चरण मे नितान्त गलत तथ्य लिखे गये है। थाना नैनवां के प्रति आरोप को भी प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी के माध्यम से आदेश निरस्त किया है। प्रार्थीगण अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2–ए सी0पी0सी0 चलने योग्य नहीं है। प्रकरण मे तथ्य झूंठे एवं बनावटी है जिससे प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील संख्या 293/2017 मे माननीय राजस्व मण्डल मे न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 04.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी का अवलोकन करवाते हुए कथन किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा का आदेश दिनांक 04.07.017 की पालना को स्थगित कर दिया

था। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनो कन्टेम्पट प्रार्थना–पत्रों का कोई औचित्य नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल मे न्यायालय हाजा के आदेशों की पालना स्थगित कर दी थी। प्रकरण मे आदेश 39 नियम 2–ए मात्र वाद मे चल रही कार्यवाही पर लागू होती है, प्रकरण अपील से संबंधित है। इस प्रकार से अपील का निर्णय भी हो चुका है जिससे भी स्वाभाविक रूप से आदेश भी निरस्त हो गया है एवं आदेश 39 नियम 2–ए मात्र आदेश को लागू करवाने का प्रावधान है, आदेश प्रभावी ही नहीं रहा है जिससे आदेश प्रभावी होने की स्थिति नहीं रही है। प्रार्थी अपने कथनों को साबित नहीं कर पाया। जिरह मे प्रार्थी के बयानों से स्पष्ट है कि प्रार्थी को भूमि, कुंए आदि का कोई निश्चित से ज्ञान नहीं था। उसे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी स्पष्टता से नहीं थी। अन्त मे प्रार्थीगण अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मे अंकित कथनों का खण्डन करते हुए प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। अपीलांट प्रार्थीगण की ओर से न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत अपील संख्या 2017/00293 एवं अपील संख्या 2017/00289 की आदेशिका दिनांक 21.06.2017 में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.05.2017 मे वर्णित विवादित आराजी के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश प्रदान किया गया। साथ ही उक्त दोनो अपीलों मे आदेशिका दिनांक 04.07.2017 से अधिवक्ता अपीलांट के प्रार्थना–पत्र पर दिनांक 21.06.2017 को जारी स्थगन आदेश को संशोधित किया जाकर वादग्रस्त आराजी के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने तथा वादग्रस्त आराजी से अपीलांट को रेस्पोडेन्ट द्वारा बेदखल नहीं किये जाने का आदेश प्रदान किया गया। उक्त दोनो कन्टेम्पट प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.07.2018 को प्रस्तुत किये गए। प्रार्थना–पत्रों की मद संख्या 2 में अंकित है कि 5 माह पूर्व अपीलांट की अनुपस्थिति मे रात को जाकर दो बोरिंग खुदवा लिए तथा दिनांक 05.07.2018 को उनकी उड़द की फसल को जबरन ट्रेक्टर से हांककर नष्ट कर दिया। हमारे समख ऐसा कोई ठोस साक्ष्य/दस्तावेज नहीं है कि कब व किस तारीख को 5 माह पूर्व रात को बोरिंग खोदी गई। अपनी जिरह मे स्वयं प्रार्थी का कथन है कि "जिस आदेश के लिए मैं कन्टैम्प मे आया हूँ उस आदेश मे क्या था, मुझे मालूम नहीं। SDM ने क्या आदेश दिया, मुझे यह भी मालूम नहीं। मेरे से तो कैम्प मे हस्ताक्षर करवाए थे। SDM ने कब्जा किसका माना मुझे मालूम नहीं।" इसी प्रकार बोरिंग के संबंध मे भी जिरह मे प्रार्थी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाया। अप्रार्थी रामकिशोर द्वारा दिनांक 05.02.2020 को प्रस्तुत शपथ–पत्र में अंकित किया है कि, "मेरे द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 04.07.2017 के आदेश को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे अपील के माध्यम से चुनौती दी थी, जिससे दिनांक 28.07.2017 को आदेश

निरस्त किया गया है, जिसमे दिनांक 28.07.2017 के पश्चात् यह आदेश दिनांक 04.07.2017 प्रभावी नहीं है, जिसकी प्रति संलग्न है।" माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 28.07.2017 की फोटोप्रति से स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 04.07.2017 की पालना आगामी तारीख पेशी तक स्थगित रखी जाने का आदेश दिया गया। हालांकि इस सम्बंध मे अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि न तो अपीलांट प्रार्थी तथा न ही न्यायालय हाजा को इस आदेश की जानकारी थी, अतः यह माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का आदेश दिनांक 28.07.2017 जानकारी नही होने से प्रभावी नहीं था। परन्तु हमारे विनम्र मत मे न्यायालय हाजा से माननीय उच्चतर न्यायालय ने न्यायालय हाजा के आदेश की पालना को स्थगित कर दिया था। अतः तकनीकी रूप से न्यायालय हाजा का आदेश दिनांक 28.07.2017 के पश्चात् प्रभावी नहीं था। प्रार्थना–पत्र कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट में अंकित कथनों को साक्ष्यों/गवाहो से प्रार्थी को साबित करना होता है। प्रार्थी रामलाल के जिरह मे कथनों से भी प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के कथन स्पष्टता से साबित नहीं होते। प्रार्थी अपने कथनों को साबित करने मे असफल रहा है। ऐसी स्थिति मे हमारे मत मे प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनो प्रार्थना–पत्र संख्या 2018/00529 एवं 2018/00530 खारिज किये जाते है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु विलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 28.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा